LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 20.09.2024

कोतवाली ललितपुर पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा टप्पेबाजी कर सोने , चांदी के आभूषण ले जाने वाले दो नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 10,660 रुपये , , 02 मोती मूंगे के डिब्बे, 02 अदद मोबाइल ,एक बैग क्लीनिंग सामान सहित व घटना में प्रयुक्त एक अदद अपाचे मो0सा0 के किया गया बरामद

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 808/2024 धारा 318(4)/304/317(2)बी0एन0एस0 के अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तों 1. भवेश गुप्ता पुत्र परमानन्द शाह नि0 ग्राम गोविन्दपुर थाना महेशखुन्ट जनपद खगडिया बिहार उम्र करीब 35 वर्ष 2. धीरज कुमार पुत्र परमानन्द शाह नि0 ग्राम जमुनिया थाना शाह पर्वता जनपद भागलपुर बिहार उम्र करीब 32 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर रेलेव अण्डर पास थाना कोतवाली ललितपुर से गिरफ्तार किया गया।**

घटना का संक्षिप्त विवरण– वादी मुकदमा श्री मनीष सडैया पुत्र रामेश्वर प्रसाद सडैया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी 220 चौबयाना थाना कोतवाली जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली ललितपुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधडी करके वादी की माँ से आभूषण साफ करवाने के बहाने लेकर चकमा देकर छिनैती कर ले जाने के सम्बन्ध मे सूचना दी थी।

प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली पर दिनांक 07.09.2024 को मु0अ0सं0 808/2024 धारा- 318(4)/304 बी.एन.एस में पंजीकृत किया गया था । घटना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमें जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना कोतवाली पुलिस को लगाया गया था जिसमें सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरो की मदद ली गयी। धरातलीय सूचना, जनपदीय कन्ट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरो की मदद से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पूंछताछ का विवरण– अभियुक्तगणों द्वारा पूंछताछ में बताया गया कि हम लोगों का संगठित गिरोह है, हम लोग अलग अलग राज्यों में टप्पेबाजी की घटना कारित करते हैं। हम लोग देश भर में घूम-घूमकर मोटरसाइकिलों से रैकी करते हैं और सीधी सादी व बुजुर्ग महिलाओ को टारगेट करते हैं और उनके सोने , चांदी के आभूषण साफ करने के नाम पर धोखाधड़ी करके, टप्पेबाजी करके उनके सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग जाते हैं। फिर उन सोने चांदी के आभूषणों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं और आपस में बांट लेते हैं। हम लोगो ने दिनांक 06.09.2024 को दोपहर मे चौबियाना मोहल्ला ललितपुर मे एक महिला से सोने चांदी के आभूषणो की सफाई के

बहाने एक सोने की चैन व एक अंगूठी लेकर झांसा देकर भाग गये थे। सोने की चैन व अंगूठी को हम दोनो लोगो ने कानपुर घण्टाघर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति को बेच दी थी। उसमें से कुछ रूपये हमने अपने घर पर भेज दिया था और कुछ रूपये से हम लोग अपना खर्चा चला रहे थे। साहब हमसे गलती हो गयी हमे मांफ कर दीजिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता –

1. भवेश गुप्ता पुत्र परमानन्द शाह नि0 ग्राम गोविन्दपुर थाना महेशखुन्ट जनपद खगडिया बिहार उम्र करीब 35 वर्ष

2. धीरज कुमार पुत्र परमानन्द शाह नि0 ग्राम जमुनिया थाना शाह पर्वता जनपद भागलपुर बिहार उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.अभियुक्तों के कब्जे से 10,660 रुपये ,
2. 02 मोती मूंगे के डिब्बे,
3. 02 अदद मोबाइल ,
4. एक बैग क्लीनिंग सामान सहित
5. घटना में प्रयुक्त एक अदद अपाचे मो0सा0 नं0 यूपी 65 सीडब्लू 4663

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक – 20.09.2024

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र मिश्रा थाना कोतवाली जनपद ललितपुर
2.उ0नि0 श्री अतुल तिवारी प्रभारी स्वाट मय टीम
3.उ0नि0 श्री आलोक सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम